दस रुपये TEN RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

-7

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 / निग0/ 2005 विदिशा

R. 1980-PBR/05

श्री कुंवरसिंह कुशवाह अभि0 द्वारा आज दि0 26.11.05 को प्रस्तुत।

राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

26 NOV 2005

§1§ कल्लू

§2§ किशन उर्फ कृष्ण लाल

§3§. टेम लाल पुत्र निर्भय सिंह

§4§ प्रेमाबाई बेवा निर्भय सिंह निवासी - गांव तेवरी थाना / अ त ह0 गुलाबगंज तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा म0प्र0

-- आवेदक

बनाम

भंवरलाल पुत्र शिवलाल ग्राम सुआखेडी तहसील व जिला विदिशा म0प्र0

-- अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा प्र0क्र0 7/145 / जत0 प्रा0 / 05 आदेश दिनांक 25-10-05 को पारित।

निगरानी के आधार :-

§1§ यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार वाहय होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

§2§ यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना आदेश पारित किया जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

§3§ यह कि, जब हाईकोर्ट ने स्टे आवेदक कर दिया एवं उसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय दी जिसे समझे बिना किया गया आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

निरन्तर--2

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी / 1980 / पीबीआर / 2005

जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
14.12-15	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी/ दण्डाधिकारी, ग्यारसपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 7/145 जाप्ता फौजदारी/ 2005 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक से पूछा गया कि जब अनुविभागीय दण्डाधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा ने आदेश दिनांक 25-10-2005 धारा 145 जाप्ता फौजदारी के अंतर्गत पारित किया है तब क्या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी सुनी जा सकती है ? साथ ही जाप्ता फौजदारी के अधीन दण्डाधिकारियों के न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों के विरूद्ध अपील/निगरानी श्रवण करने हेतु राजस्व मण्डल सक्षम है। आवेदकगण के अभिभाषक मौन रहे हैं। अतएव प्रस्तुत निगरानी अप्रचलनशील योग्य पाये जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	